महिलाओं के लिए चलाये जा रहे योजनाओं से उनमें होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक विकास और परिवर्तन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (मुजफ्फरपुर जिला के संदर्भ में)

डॉ० सीतांजलि सिंह*

आज के युग में महिलाएँ एवं पुरूष प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माने जाने लगे हैं। भारतीय समाज में महिलाएँ एक लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं। विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न को बढ़ाया हैं। भारतीय समाज में महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे–धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतन्त्रता के बावजूद असंख्य महिलाएँ अब भी उत्पीड़न का शिकार हैं। इसलिए महिलायें रोजगार में पुरूषों की अपेक्षा कम हैं। जबकि अनेकों मामलों में महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि कर्म–क्षेत्र की किसी भी दिशा में अवसर मिलने पर वे पुरूषों से पीछे नहीं रहेगी, चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष, खेल राजनीति, आदि क्षेत्रों में महिलाओं की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें पुरूषों के समकक्ष अवसर मिलें तो वे अपने दायित्वों को निर्वाह अधिक अच्छे ढंग से कर सकती है। महिलाओं में सामाजिक चेतना और जागरूकता उत्पन्न करने एवं उन्हें आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बनाने और उनकी आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई विकास और कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, कुछ प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार से हैं :– 1) सामेकित बाल विकास सेवा योजना, 2) महिला विकास निगम, 3) महिलाओं के विकास के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण 4) महिलाओं हेतु प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम 5) महिला स्वाधार योजना, 6) महिला स्वंय सिद्धा योजना के अतिरिक्त कई कार्यक्रम चलाये जाते हैं। अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार के लिए चलाये जाने वाले योजनाएँ हैं :–

***पीएच० डी० (समाजशास्त्र) बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर**

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना – गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के स्वंसहायता समूहों में से 50 प्रतिशत केवल महिलाओं के होते हैं। स्वंसहायता समूह द्वारा प्रथम ग्रेडिंग में उतीर्ण होने पर 5000 रूपये से 10000 रूपये रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाता है तथा इसका चार गुना कर कैश क्रेडिट बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यह महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किया जाने वाला पहल है। स्वं–सहायता समूह महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।

स्वाधार योजना–कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली महिलाओं के आश्रय एवं पुनर्वास के लिए यह योजना चलायी जा रही है। योजना के तहत महिलाओं को आश्रय गृह, पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण, परामर्श एवं हेल्प लाइन आदि का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना – शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय प्रारंभ कराने के लिए सरकार द्वारा एक–दो लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत एक लाख रूपये तक की राशि पर कोई धरोहर/प्रतिभूति नहीं ली जाती है।

महिला डेयरी परियोजना–इस योजना को महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन, डेयरी व्यवसाय में महिला भागीदारी के लिए प्रोत्साहन, दूध संकलन, संसाधन और विपणन का प्रभावी संचालन तथा दूध उत्पादकों को उचित मूल्य के भुगतान के लिए पशु पालन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसका लाभ महिला सहकारी दूध समिति की ऐसी महिलाएँ जो पषुपालन एवं डेयरी व्यवसाय में रूचि रखती हो, ले सकती हैं। प्रदेश में यह योजना सीहोर, देवास, शाजापुर, मुरैना, एवं सिवनी जिलों में चलाई जा रही है।

स्वावलंबन–स्वावलंबन कार्यक्रम, जो मूलतः महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, 1982–83 में नार्वेजियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट को आपरेशन (विकास सहयोग के लिये नार्वे की एजेंसी) की सहायता से शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत महिला विकास निगमों, स्वायत्त संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को गैरपरंपरागत व्यवसायों में महिलाओं के प्रशिक्षण तथा इन क्षेत्रों में उन्हें सुनिश्चित रूप से रोजगार दिलाने के लिये उन्हें सहायता दी जाती है।

स्वाधार–वर्ष 2001–2002 में केन्द्रीय क्षेत्र में उन महिलाओं के लिये 'स्वाधार' नामक योजना आरंभ की गई है जो कि कठिन परिस्थितियों में पड़ गई है। स्वाधार योजना निम्नलिखित महिलाओं के लिये है–दीनहीन विधवाएं, जिन्हें परिवार वालों ने उन्हें वृंदावन, काशी आदि धार्मिक स्थानों पर बेसहारा छोड़ दिया है; प्राकृतिक आपदा की शिकार ऐसी महिलाएँ जो बेघर हैं और उनके पास कोई

सामाजिक तथा आर्थिक सहारा नहीं है। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएँ जिन्हें परिवार अथवा रिश्तेदारों से कोई मदद नहीं मिलती, यौन शोषण की शिकार ऐसी महिलाएं या लड़कियाँ जिनके परिवार वालों ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया है, अथवा जो किसी अन्य कारणों से अपने परिवार में वापस नहीं लौटना चाहती, आतंकवाद की शिकार महिलाएँ जिन्हें परिवार का सहारा नहीं है तथा जिनके पास जीने के लिये आर्थिक जरिया नहीं है आदि।

इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे योजनाएँ हैं जो महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिहार में जीविका परियोजना और स्वंय सहायता समूह न केवल महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है बल्कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में जागरूक भी किया है।

अध्ययन का उद्देश्य–महिलाओं को रोजगारोन्नमुख बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किये जा रहे हैं तथा उनके लिए विभिन्न योजनाओं का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके। ड्वाकारा योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, विल योजना, नोराड़ प्रशिक्षण योजना, महिला उत्थान योजना प्रमुख रूप से चलाये जा रहे हैं। भारत में महिलाओं के कल्याण एवं विकास की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं, सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाई गई हैं। महिलाओं हेतु सरकारी कार्यक्रमों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, जिससे की उनकी सहभागिता वांछित न्यूनतम स्तर तक अवश्य हो सके एवं महिलाओं को इन कार्यक्रमों का लाभ मिल सकें।

वर्तमान समय में अगर देखी जाय तो इस तरह की जितनी भी योजनाएँ हैं अगर उनका क्रियान्वयन सही ढ़ंग से किया जाता है तो महिलाओं की सहभागिता उनमें बढ़ेगी। इससे यह होगा कि महिलाओं में भी रोजगार की स्थिति उत्पन्न होगी और महिलाएँ भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और वे विकास के पथ पर अग्रसर होंगी।

अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धति–प्रस्तुत अध्ययन के लिये समस्या का चुनाव हो जाने के बाद इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यों का निरूपण किया गया। तत्पश्चात् मुजफ्फरपुर जिला को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र से उद्देश्यपूर्ण निदर्षन पद्धति से 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया तथा अनुसूची का निर्माण कर साक्षात्कार प्रविधि के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है। उनसे प्राप्त तथ्यों का सारणीयन व विश्लेषण किया गया है।

तथ्य विश्लेषण–अध्ययन क्षेत्र से चयनित किये गये उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण इस प्रकार है :–

तालिका संख्या – 1

जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय :–

जाति	उत्तरदाता	प्रतिशत
राजपूत	15	15
ब्राह्मण	15	15
यादव	20	20
कुर्मी	20	10
मल्लाह	10	09
दुसाध	10	09
चमार	10	08
	100	100

प्रस्तुत शोध कार्य में उत्तरदाताओं का परिचय जानने के बाद अध्ययन विषय से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन अध्ययन क्षेत्र से चयनित किये गये उत्तरदाताओं से किया गया है जिनका विश्लेषण इस प्रकार किया जा रहा है :–

तालिका संख्या – 2

क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए चलाये जान विभिन्न योजनाओं ने उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किया है? हाँ/नहीं

उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
हाँ	88	88
नहीं	12	12
कुल	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूछे गए प्रश्न क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए चलाये जाने विभिन्न योजनाओं ने उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किया है तो प्राप्त उत्तर तालिका से स्पष्ट होता है कि सभी उत्तरदाताओं के 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके समर्थन में अपना जबाव दिया है जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न के असहमति में अपना जबाव दिया है।

तालिका संख्या – 3

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं के विकास के लिए चलाये जाने वाले योजनाओं ने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में जागरूक किया है ? हाँ/नहीं

उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
हाँ	82	82
नहीं	18	18
कुल संख्या	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूछे गए प्रश्न क्या **क्या आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं के विकास के लिए चलाये जाने वाले योजनाओं ने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में जागरूक किया है** तो सभी उत्तरदाताओं के 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके सहमति में अपना जबाव दिया है जबकि 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके असहमति में अपना जबाव दिया है।

तालिका संख्या – 4

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शिक्षित एवं अशिक्षित सभी महिलाओं के लिए सरकार द्वारा रोजगार की व्यवस्था की गयी है ?

सहमत / असहमत

उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
सहमत	78	78
असहमत	22	22
कुल संख्या	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूछे गए प्रश्न **क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शिक्षित एवं अशिक्षित सभी महिलाओं के लिए सरकार द्वारा रोजगार की व्यवस्था की गयी है** तो प्राप्त उत्तर तालिका से स्पष्ट होता है कि सभी उत्तरदाताओं के 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न के सहमति में अपना जबाव दिया है जबकि 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं हैं।

तालिका संख्या – 5

क्या आपको लगता है कि महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने का प्रभाव उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ा है ?

हाँ / नहीं

उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
हाँ	81	81
नहीं	19	29
कुल संख्या	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूछे गए प्रश्न क्या आपको लगता है कि **क्या आपको लगता है कि महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने का प्रभाव उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ा है** तो प्राप्त उत्तर तालिका से स्पष्ट होता है कि सभी उत्तरदाताओं के 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न के सहमति में अपना जबाव दिया है जबकि 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न का जबाव असहमति में दिया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि महिला के विकास को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है ताकि इससे असहाय कमजोर वर्ग की महिलाएँ भी अपना विकास कर सकें तथा पिछड़ी हुई अवस्था से उभर सकें तथा समाज में तेजी से बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता को रोकने के लिए इन महिलाओं की अहम भूमिका

हो सकती है। अनियमित कार्य को करने वाले अथवा बढ़ावा देने वाले चाहे जन प्रतिनिधि हों, गांव के सम्भ्रान्त लोग हों अथवा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हों, उनके द्वारा पंचायतों के माध्यम से इस प्रकार के लोगों के प्रति पूरी पंचायत का ध्यान आकृष्ट कराया जा सकता है तथा जनतांत्रिक तरीके से विरोध भी प्रकट किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी संविधान सम्मत तरीके का सहारा भी लिया जा सकता है। इस प्रकार समाज में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में इन महिला प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। देश की कुल जनसंख्या में यदि महिलाओं का वर्तमान अनुपात देखें तो वह 47 करोड़ पुरूषों के विपरीत लगभग 43.5 करोड़ है। इस प्रकार पुरूषों और महिलाओं का प्रतिशत लगभग 52 और 48 है। इसके साथ–साथ यदि देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान का अध्ययन करें तो पता चलता है कि यह इनके अनुपात से बहुत ही कम होता है। देश में कुल महिला श्रमबल का प्रतिशत मात्र 22.2 है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपना योगदान बढ़ाना होगा और इसके लिए पंचायतों की इन नवनिर्वाचित महिला जन–प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन देना होगा। आर्थिक विकास की अनेकानेक योजनाओं और कार्यक्रमों से उन्हें सीधे–सीधे जोड़ना होगा।

सदियों से महिलाएँ आर्थिक प्रवषत्ति में किसी–न–किसी रूप में अपना योगदान देती रही हैं। शिकारी अवस्था आखेट युग में यदि महिलाएँ शिकार करने नहीं जा सकती थीं तो घर में अनेक आर्थिक धंधे, जैसे–बाँस की चीजें बनाना, अनाज साफ करना इत्यादि कार्य महिलाएँ किया करती थीं। पशुपालन युग में पशु की देखभाल, सेवा–टहल, दूध से अनेक वस्तुएँ बनाना, कपड़ा बुनना इत्यादि कार्यो में महिलाएँ जुटी रहती थीं। कषषि युग (अन्न उत्पादन युग) में भी महिलाएँ पुरुषों को कृषि कार्यों में सहायता पहुँचाती आई है, जैसे – घर में कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरियाँ बनाना या फिर कूटना–पीसना आदि। इस तरह विभिन्न प्रकार से महिलाएँ आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान देती रही है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से महिलाओं को घर से बाहर धंधे के अधिक अवसर मिलने लगे, मालिकों को महिला–श्रम सस्ते दर पर उपलब्ध होने के कारण महिला–मजदूरों की मांग बढ़ती गई और उन्नीसवीं सदी की समाप्ति के बाद सब देशों में श्रमजीवी वर्ग में महिलाओं के स्थान पर महत्व बढ़ता गया।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि महिलाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू की जाय तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर प्रदान होगा जिसके परिणाम स्वरूप हमें यह देखने को मिलेगा कि महिलाओं की स्थिति हरेक क्षेत्र में प्रगति की ओर होगा। महिलायें भी आज घर से बाहर

निकलना चाह रही है, राजनीति से लेकर शिक्षा तथा नौकरियों में भी अपना परचम लहराना चाह रहीं हैं। विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों व महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिये बनाये गये कानूनों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बदौलत आज महिलाओं की स्थिति में काफी हद तक सुधार आया है।

इसके साथ ही हजारों स्वयंसेवी संगठन कस्बों और गांवों के स्तर पर औरतों को जागरूक बनाने तथा मर्दों को अपनी सोच बदलने को तैयार करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इन संगठनों में भ्रष्टाचार और लीपापोती की प्रवषति से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कई संगठन देश और विदेश में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार औरतों को शक्तिमान बनाने के पक्ष में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। अब सिर्फ सामाजिक परिवर्तन और न्याय के लिए लड़ने वाली ताकतों की भूमिका बची है। उन्हें दरअसल इन प्रावधानों को समाज में स्वीकार्यता दिलानी है और औरतों को शक्तिमती बनाकर सबसे ऊँचे पायदान तक पहुंचाना है।

संदर्भ सूची :–

1. अन्सारी, एम० एन०; महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000.
2. गुप्ता, सुभाषचन्द्र; कर्मषील महिलाएँ एवं भारतीय समाज, अर्जुन पब्लिषिंग हाऊस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण – 2004.
3. नाटानी, प्रकाश नारायण; कन्या भ्रुण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बुक एनक्लेब, प्रथम संस्करण, 2007.
4. भाटी, कान्ता; महिला उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना तथा दहेज हत्या, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007.
5. शर्मा, जी० एल०; सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015.
6. शर्मा, सुभाष; भारतीय महिलाएँ की दशा, आधार प्रकाशन, पंचकुला हरियाणा, द्वितीय संस्करण 2012.
7. सारस्वत, स्पन्निल; महिला विकास : एक परिदष्श्य, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007.
8. Parasher, Archana; Women and Family Law Reform in India, Sage Publication, New Delhi, 2000.

9. Palande, Jayshree; Women's Employment in Organized Industries, Vikash Publishing House, Pvt. Ltd. New Delhi, 2007
10. कुरूक्षेत्र एवं योजना, मासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

****